FORM NO. III ③ RAP-A Crim-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

मुकाम ____________________

बनाम ____________________

मा ____________ नं. ____________ सन् ____________

ख... म...	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
...|20	पत्रावली पेश हुई । अत पीठासीन अधिकारी [illegible] कार्यों में व्यस्त/अवकाश पर होने से पत्रावली ईल्तुवा होकर दिनांक 25/11/20 को पेश हो।	
...|2020	कोविड-19 महामारी के कारण राज्य सरकार के निर्देशों की पालना में कोर्ट कार्यवाही स्थगित रखी गई थी जिसे राज्य सरकार के मार्गदर्शन के बाद पुनः जारी की जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 22/10/2020 को पेश हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी	
...|10|2020	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 251(क) राज० काश्तकारी अधिनियम पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के ख०नं. 151/1 में आने-जाने के लिये रास्ता उपलब्ध नही है। अतः खसरा नं. 154/3 से रास्ते की मांग की गई तथा बताया गया कि अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। अप्रार्थी से जवाब मांगा गया अप्रार्थी ने मौके पर रास्ता होने से ईंकार किया व मौका निरीक्षण/पटवारी रिपोर्ट को विधि विरुद्ध बताया व पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु लिखा गया। तहसीलदार को मौका कमिश्नर नियुक्त कर मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। प्रार्थी ने बहस हेतु निवेदन किया कि पुनः मौका रिपोर्ट बेवजह प्रार्थना पत्र को लम्बा करने हेतु मंगवाई जाने का अनुरोध किया है। जिसे अस्वीकार करे।	

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज
	वकील की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बताया कि प्रार्थी को अपने खेत खसरा में जाने का रास्ता उपलब्ध करवाया जावे। इस हेतु DLC की दुगनी राशि अदा करने हेतु तैयार है। मौका रिपोर्ट अनुसार वकील प्रार्थी ने पूर्व में रास्ते का फैसला SDM कोर्ट से होना बताकर न्यायालय को फैसला करने का अधिकार नहीं होना बताया। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर पूर्व में फैसले का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं था और ना ही वर्तमान जमाबंदी में रास्ते का अंकन था। अतः मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी को खेत खसरा सं: 15[illegible]/3 में आने-जाने हेतु खेत खसरा सं. 154/3 से मौका रिपोर्ट में अंकित लाल स्याही भाग 'A-B' 20 फिट चौड़ा रास्ता दिया जाने के आदेश दिये जाते हैं। एवं प्रार्थी को आदेशित किया जाता है कि डी.एल.सी. रेट से दुगनी रकम अप्रार्थी को अदा करे। मौका रिपोर्ट को इस आदेश का भाग माना जावे। तहसीलदार बावड़ी को आदेश दिये जाते हैं कि अप्रार्थी को DLC दर की दुगनी दर से रकम अदा करवाकर राजस्व रेकर्ड में रास्ते का अंकन करे। तहसीलदार बावड़ी को इस आशय की तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] **सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी**